राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 6469–6508 दिनांक 12-11-2020

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देय एड–हॉक बोनस के भुगतान के संबंध में।**

संदर्भः– वित्त (बजट) विभाग का पत्रांक एफ.6(5)एफ.डी./ रूल्स/2009 दिनांक 10.11.2020 एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग का पत्रांक प.4(2)वित्त/ राजस्व/98 लूज दिनांक 11.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग के संदर्भित आदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कार्मिकों को देय बोनस भुगतान के आदेश जारी किए गये है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को 25 प्रतिशत बोनस का भुगतान नकद किये जाने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जी.पी.एफ. खाते में जमा किए जाने एवं बिन्दु संख्या 8 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों जिन पर अंशदायी पेंशन स्कीम लागू होती है, को 25 प्रतिशत बोनस का भुगतान नकद किये जाने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जी.पी.एफ. खाते के स्थान पर स्कीम में जमा किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया गया है कि वित्त (बजट) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक प.8(12)वित्त–1(1)आ.व्य./2013 पार्ट IV दिनांक 10.11.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों के तदर्थ बोनस की राशि जमा किए जाने हेतु निम्नानुसार नवीन बजट मद खोला गया है :–

8009	–	राज्य भविष्य निधि
01	–	सिविल
101	–	सामान्य भविष्य निधि
03	–	जी.पी.एफ.–2004

तथा स्वायतशाषी संस्थाओं के कार्मिकों की राशि जमा कराने हेतु निम्न बजट मद खोला गया है :–

8009	–	राज्य भविष्य निधि
01	–	सिविल
101	–	सामान्य भविष्य निधि
04	–	जी.पी.एफ.–सेब

01.04.2020 से अब तक सेवानिवृत, स्वैच्छिक सेवानिवृत एवं मृत कार्मिकों को बोनस भुगतान के संबंध में वित्त विभाग से पृथक से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है। अतः तदानुसार ही बोनस भुगतान किए जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

www.rajsevak.com

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(2)वित्त/राजस्व/98 लूज

जयपुर, दिनांक 11 NOV 2020

निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिको के लिये जीपीएफ योजनाओं के लिये नवीन बजट मद खुलवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 10.11.2020 के द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य सरकार के एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों के तदर्थ बोनस की राशि जमा कराने हेतु बजट हैड खुलवाने के प्रस्ताव वित्त (आय–व्ययक) विभाग को भेजे गये थे। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग से प्राप्त अ. शा. टीप क्रमांक प. 8 (12) वित्त–1(1)/आ. व्यय./2013/पार्ट–4 दिनांक 10.11.2020 की छाया प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। कृपया उक्त अ. शा. टीप में उल्लेखित नवीम बजट मद के अनुसार बजट शीर्ष 8009–01–101–(03) में राज्य सरकार के कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् हुई है तथा बजट शीर्ष 8009–01–101–(04) में स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों की राशि जमा कराने संबंधी प्रावधान आईएफएमएस/राजकोष/पे–मैनेजर में कराने एवं उक्त राशि एसआईपीएफ पोर्टल में वेबसर्विस के माध्यम से स्थानान्तरित कराने का भी प्रावधान कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार.

भवदीय,
11/11/2020

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

www.rajsevak.com

4/2/ab ekv

भीम

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

150

विषय :– दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों के लिए जी.पी.एफ योजनाओं के लिए नवीन बजट मद खुलवाने के कम में।

विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) की पत्रावली पर प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान,जयपुर से सहमति प्राप्त कर निम्नांकित नवीन बजट मद आई.एफ.एम.एस. पर खोल दिये गये हैं:–

8009	–	राज्य भविष्य निधि
01	–	सिविल
101	–	सामान्य भविष्य निधि
(03)	–	जी.पी.एफ. –2004
8009	–	राज्य भविष्य निधि
01	–	सिविल
101	–	सामान्य भविष्य निधि
(04)	–	जी.पी.एफ. –सेब

कार्यालय संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा) विभाग
डायरी संख्या 1826
दिनांक 11/11/2020

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा) विभाग
शासन सचिवालय,जयपुर

अ.शा.टीप क्रमांक :प.8(12)वित्त–1(1)/आ.व्य./2013/पार्ट–IV

जयपुर, दिनांक: 10 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त (बीमा) विभाग।
2. निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. ई– कोषाधिकारी, ई कोषालय, वित्त भवन,जयपुर ।

संयुक्त शासन सचिव

www.rajsevak.com